इस हुकम की तामील मे जारी हुए

21.06.2022

आदेश

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी के वकील उपस्थित। वकील अप्रार्थी संख्या 02 उपस्थित। शेष अप्रार्थीगण ईकतरफा। उभय पक्षों की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी का कथन है कि प्रार्थी मौजा पीथलपुरा पटवार क्षेत्र महाबार तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 2372/1032 रकबा 44.13 बीघा भूमि का अभिलिखित खातेदार है तथा अपनी खातेदारी भूमि की पक्की नेखमबन्दी करवाना चाहता है, इस हेतु निर्धारित शुल्क जमा करवाने को तैयार है।

वकील अप्रार्थी संख्या 02 ने जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अप्रार्थी ने अपनी भूमि का सीमाज्ञान करवाने हेतु तहसील कार्यालय में आवेदन किया है, जिसकी निर्धारित शुल्क भी जमा करवा दिया है। अप्रार्थी की नेखमबन्दी का आवेदन माननीय न्यायालय में प्रस्तुत करने के उपरान्त प्रार्थी की नेखमबन्दी की जावें।

उभय पक्षों को सुनने के पश्चात पत्रावली का भी अवलोकन किया गया। प्रकट तथ्यों एवं पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि प्रार्थी प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि का अभिलिखित खातेदार है तथा अपनी खातेदारी भूमि की पक्की नेखमबन्दी करवाना चाहता है जो उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया मौजा पीथलपुरा पटवार क्षेत्र महाबार तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 2372/1032 रकबा 44.13 बीघा भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित कर नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाडमेर को कमीश्नर नियुक्त किया जाकर निर्देश दिये जाते है कि उक्त कार्रवाई प्रार्थी व अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस/पत्र सूचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नही करने बाबत् राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 04.08.1992 के मद्देनजर) की जावे। कमीश्नर फीस 1500/– अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थी द्वारा मौके पर अदा की जायेगी। इस आशय का आदेश तहसीलदार बाडमेर के नाम जारी हो। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर सामिल मिसल हो। पत्रावली फैसल–सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी